अधिगम अक्षमताएँ

अधिगम अक्षमता शब्द को पहली बार 1963 में सैम्यूल किर्क ने प्रयोग किया था। अधिगम अक्षमताओं का अर्थ सीखने की कमी या कठिनाई या अनुपस्थिति से होता है।

अधिगम अक्षमताओं की विशेषताएँ

1. अधिगम अक्षमताएँ विकार है, न कि बिमारी
2. कुछ समय बाद ये स्वतः ही खत्म हो जाती है। क्योंकि अधिगम में परिपक्वता आने लगती है।
3. सभी अधिगम अक्षमताएँ परिवर्तनशील होती है।
4. अधिगम अक्षमताएँ मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है।

प्रमुख अधिगम अक्षमताएँ

1. **Dyscalculia** – गणना विकार
2. **Dysgraphia** – लेखन विकार
3. **Dyslexia** – पठन विकार
4. **Dyspraxia** – गतिक कौशलो सम्बन्धित विकार
5. **Dementia** – स्मृति विकार
6. **Dysthymia** – अवसाद विकार
7. **ADHD** (Attention Deficit Hyper Active Disorder) – न्यून अवधान अति सक्रियता विकार
8. **Dysphoria** – उदासिनता विकार
9. **Dysmorphia** – अपने शरीर में कमी ढूँढने का विकार
10. **Dysphonia** – आवाज विकार जैसे – ध्वनि यंत्र में कुछ समस्याहोना

11. **Dystonia –** गतिशीलता विकार (जिसमें मांसपेशियों के सिकुड़न आदि के कारण चलने में परेशानी होती है।)

12. **Acquired Helplessness –** अर्जित निःसहायता (जिसमें व्यक्ति इतना निराश हो चुका होता है कि उसे लगता है वो कुछ नहीं कर पायेगा)

13. **Dysphasia –** सम्प्रेषण विकार (किसी मस्तिष्क की बिमारी या क्षति का परिणाम)

Key Words/Tag words

इनसे बचें –

1. मानकीकृत परीक्षण
2. वेधन और अभ्यास (Mock and Read)
3. वैयक्तिक विभिन्नता में समानता
4. बाह्य प्रेरणा
5. लालच
6. दो विद्यार्थियों में तुलना
7. सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना
8. व्याख्यान विधि
9. योगात्मक आकलन
10. शिक्षक केन्द्रित शिक्षा
11. रटन्त अधिगम
12. फूट डालो और राज करो
13.

इन्हें हमेशा वरीयता दें

- बालकेन्द्रित शिक्षा
- आन्तरिक प्रेरणा
- करके सीखना
- अन्त:क्रिया
- विविधता
- समावेशी शिक्षा
- सतत और व्यापक मूल्यांकन
- अधिगम के लिए आकलन
- पूर्व ज्ञान

- त्रुटियाँ
- श्रम
- असफलताएँ
- परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा
- लचीलापन और गतिशीलता
- रचनावाद/सृजनात्मकता
- त्रुटि एवं प्रयास
- समायोजन/अनुकूलन
- अन्वेषण या खोज विधि

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005

1. एन0 सी0 एफ0 2005 के पांच मार्गदर्शी सिद्धान्त –

(a) ज्ञान को स्कूली के बाहर के जीवन से जोड़ना

(b) पढ़ाई को रटन्त प्रणाली से मुक्त करना

(c) शिक्षा को सिर्फ पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रहने देना

(d) परीक्षा प्रणाली लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना

(e) शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिन्ताओं को समाहित करना

प्रमुख बिन्दु

- ❖ एन0 सी0 एफ0 2005 रचनावाद पर जोर देता है।
- ❖ एन0 सी0 एफ0 2005 बिना बोझ के शिक्षा देने का वादा करताा है।
- ❖ एन0 सी0 एफ0 2005 में मोटी-मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया है।
- ❖ एन सी0 एफ0 2005 के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है।
- ❖ डण्डे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है, पर अनुशासन नहीं।

- पिछले कुछ वर्षो में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा है पर गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है।
- अधिगम स्वभाव से सक्रिय एवं सामजिक है।
- बालकेन्द्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों की आवाजों एवं उनके अनुभवों को वरीयता देना है।
- एन0 सी0 एफ0 2005 लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं को विपरीत भूमिकाओं में रखने पर जोर देता है।

- अधिगम एक अन्तःक्रियात्मक प्रक्रिया है। तथा इसमें वयस्कों के साथ काम करना, सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना आदि अत्यन्त लाभदायक है।
- शिक्षक एक मार्गदर्शक, सुविधा प्रदाता, सुगम कर्ता और उत्प्रेरक है। जो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के लिए प्रोत्साहित करता है।
- एन0 सी0 एफ0 2005 विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र पर जोर देता है। क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र राजनैतिक, सामामिजक, आर्थिक पहलूओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है।
- ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है।
- ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान की रचना करनी होती है।
- बच्चा कोई कोरी पटिया नहीं है। वह कई अनुभवों के साथ स्कूल में प्रवेश करता है।

❖ सीखने और सिखाने में स्थानीय ज्ञान एवं सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना गया है।

❖ बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

❖ एन0 सी0 एफ0 2005 में चार क्षेत्रों में विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। कला शिक्षा, कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा शांति शिक्षा

❖ एन0 सी0 एफ0 2005 पांच के दस्तावेज में भाषा के लिए द्वि-भाषिकता तथा बहु-भाषिकता का समर्थन किया गया है।

❖ बच्चे स्कूली जीवन के शुरूआत के पहले से ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करने की क्षमता रखते है।

❖ इस दस्तावेज में बहु-भाषिकता को एक संसाधन माना गया है।

❖ द्वि-भाषिकता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिन्तन और बौद्धिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है।

- प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होती है। क्योंकि इससे सीखने का स्वाभाविक वातावरण तैयार होता है।
- प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वह होती है।
- गलतियाँ अधिगम का हिस्सा होती है। इसलिए शुरूआत में उन पर ध्यान दिये बिना अधिक समय बच्चे को रूचिकर एवं चुनौतिपूर्ण संसाधनों के माध्यम से भाषा को समृद्ध करने में लगाये।
- अंग्रेजी के माध्यमों को स्वीकारते हुये इसे द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है।
- कक्षा में छपी हुई सामग्री की बहुतायत हो। संकेतों, चार्ट, कार्य सम्बन्धी सूचना आदि उसमें लगे हो ताकि विभिन्न अक्षरों की ध्वनियाँ सीखने के साथ बच्चे अक्षरों को पहचान सकें।

गणित शिक्षण का उद्देश्य

- ❖ बालक में गणितीय करण की सोच का विकास
- ❖ तर्क क्षमता एवं अमूर्त चिन्तन का विकास तथा समस्या समाधान का विकास
- ❖ गणित को वास्तविका जीवन से जोड़ना
- ❖ गणित का अन्य विषयों के साथ सम्बन्ध

एन0 सी0 एफ0 ने कम्प्यूटर विज्ञान एवं कम्प्यूटर शिक्षा पर जोर दिया

1. विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य
2. बालक में जिज्ञासा एवं सृजनशीलता का विकास
3. विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना
4. आस-पास पाये जाने वाले जीव-जन्तुओं का अध्ययन
5. दैनिक जीवन से जोड़कर वैज्ञानिक नियम समझाना
6. माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य, प्रजनन तथा यौन बिमारियों आदि को भी शिक्षा में शामिल किया जाय।

- कक्षा 2 तक लिखित परीक्षा न हो बल्कि गतिविधी आधारित मौखिक आकलन, अवलोकन द्वारा किया जाय।
- आकलन में पास या फेल पर जोर न देकर ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाय।
- मूल्यांकन में बच्चे को होशियार या समस्यात्मक विद्यार्थी न कहकर सभी विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई के क्षेत्र को पहचानकर उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया जाय।
- आकलन सतत् और व्यापक होना चाहिए।
- इस दस्तावेज में स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय आधारित आकलन की सिफारिश की गई है। खासकर पोर्टफोलियो आकलन।

- खुली पुस्तक परीक्षा का विरोध किया गया है। लेकिन निष्पक्षता के लिए इसमें कुछ बदलाव करके इसे अपनाया जा सकता है।
- प्रतियोगिता प्रोत्साहन तो देती है पर आन्तरिक प्रेरणा को मार देती है।

विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण

1. बच्चे उस स्थान पर रहना पसन्द करते है जो रंग-रंगीला, मित्रवत, खुली जगह वाला हो, तथा जहाँ पर पशु-पक्षी, पेड़-पौधे और खिलौने हो।
2. विद्यालय के दीवार का प्रयोग बच्चों द्वारा बनाई गई कृतियों के लिए किया जाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा

1. दिव्यांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है इसे स्वीकार करना है।
2. बच्चे फेल नहीं होते बल्कि व्यवस्थाये और स्कूल असफल होते है।
3. अन्तरों की स्वीकृति एवं विविधता का उत्सव मनाती है।
4. दिव्यांगता समाज द्वारा निर्मित है इसलिए इसे तोड़े।
5. प्रावधान करें बाधायें न गढ़े।
6. समावेशन का अर्थ सिर्फ दिव्यांगों को शिक्षा में शामिल करना नहीं है। बल्कि सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना है।

1. विद्यालय की समय-सारिणी को लचीलि बनाया जाय तथा कक्षा की बैठक व्यवस्था में भी बदलाव लाया जाय।

2. स्कूल का कैलेण्डर मौसम के अनुकूल बनाया जाय।

3. स्कूल का कैलेण्डर तथा प्रतिदिन पढ़ाई के घण्टों का निर्धारण ग्राम पंचायत के साथ विचार-विमर्श करके लिया जा सकता है।

4. फिर भी यह समय पूर्व प्राथमिक स्तर पर कम-से-कम तीन घण्टे तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कम-से-कम छः घण्टे हो।

गृहकार्य के लिए सुझाव

अत्यधिक गृह कार्य का विरोध करते हुये एन0 सी0 एफ0 गृहकार्य के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित करता है।

1. कक्षा 2 तक कोई गृहकार्य नहीं
2. कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घण्टे
3. कक्षा 6 से 8 तक सप्ताह में 5–6 घण्टे
4. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर सप्तार में 10–12 घण्टे।

महत्वपूर्ण बदलाव

पहले

- शिक्षक केन्द्रित, स्थिर डिजाईन
- शिक्षक का निर्देश और निर्णय
- शिक्षक का मार्गदर्शन और प्रबोधन
- निष्क्रिय भाव से सीखना
- चारदीवारी के अंदर सीखना
- ज्ञान "प्रदत्त" और स्थिर है
- अनुशासन केन्द्रित
- रैखिक अनुभव
- मूल्यांकन, संक्षिप्त, क्रम

बाद में

- शिक्षार्थी केन्द्रित, लचीली प्रक्रिया
- शिक्षार्थी की स्वायत्ता
- शिक्षार्थी को सहयोग द्वारा सीखने को प्रोत्साहन
- सीखने में सक्रिय भागीदारी
- विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना
- ज्ञान विकसित होता है, रचा जाता है
- बहु-अनुशासनात्मक शैक्षणिक दृष्टि
- बहुविध एवं विभिन्न अनुभव
- बहुविध, सतत्

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

1. 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू है।
2. इसमें 7 अध्याय 38 धारायें तथा 1 अनुसूची है।
3. भारत आर0 टी0 ई0 लागू करने वाला दुनिया का 135वां देश है। जबकि नार्वे पहला देशा था।
4. आर0 टी0 ई0 2009 20 जुलाई तथा 4 अगस्त को क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा में पास हुआ। इसे लाने के लिए दिसम्बर 2002 में भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन किया गया ।

प्रमुख प्रावधान

1. यह अधिनियम 6 – 14 के बालकों के प्रारंभिक शिक्षा के लिए जबकि दिव्यांगों के लिए इसकी उम्र 6 – 18 वर्ष
2. प्रवेश का आधार बालक की उम्र होगी।
3. निष्कासन और अवरोधन पर रोक शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना पर रोक
4. बालक को किसी भी स्कूल में स्थानान्तरित होने का अधिकार स्थानान्तारण प्रमाण पत्र न देने पर कानूनी कार्यवाही।
5. कोई प्रवेश परीक्षा नहीं तथा किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही।
6. एक विद्यालय प्रबन्धन समिती का गठन हो जिसके कुल सदस्यों की आधी महिलाये हों तथा प्रबन्धन समिती की कुल संख्या का 3/4 भाग बच्चों के अभिभावकों से बने जिसमें आधी संख्या महिलाओं की हों।

7. शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है।

8. नियमितता एवं समय पालन तथा समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, बच्चों के अभिभावकों के सम्पर्क में रहना, बच्चे को क्षमता के अनुरूप पढ़ाना शिक्षकों के प्रमुख कर्तव्य है।

9. शिक्षक को चुनाव, जनगणना तथा आपदा राहत कार्य के अलावा किसी अन्य गैर–शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता।

10. सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक।

मूल्यांकन के उद्देश्य

1. सर्वांगीण विकास
2. बालकेन्द्रित शिक्षा
3. गतिविधी आधारित शिक्षा
4. समावेशी शिक्षा
5. भय एवं तनाव रहित वातावरण में शिक्षा

अनुसूची

शिक्षक छात्र अनुपात (प्राथमिक स्तर पर)

1. 60 छात्रों पर = 2 शिक्षक
2. 61 – 90 छात्रों पर = 3 शिक्षक
3. 91 – 120 छात्रों पर = 4 शिक्षक
4. 120 – 200 छात्रों पर = 5 + 1 शिक्षक
5. 150+ छात्रों पर = शिक्षक छात्र अनुपात 1 : 30
6. 200+ छात्रों पर = शिक्षक छात्र अनुपात 1 : 40

उच्च प्राथमिक स्तर पर

1. शिक्षक छात्र अनुपात = 1 : 35
2. 100+ छात्र होने पर = एक प्रधान अध्यापक जो पूर्ण कालिक हो तथा कार्य शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के एक-एक अंशकालिक शिक्षक हो।
3. भाषा गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय के शिक्षक पूर्ण कालिक हो।

कार्य दिवस एवं कार्य घण्टे

1. प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र में 200 कार्य दिवस या 800 कार्य घण्टे होंगे।
2. उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति शैक्षिक सत्र में 220 कार्य दिवस या 1000 कार्य घण्टे होंगे।
3. शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह 45 घण्टे कार्य करना होगा।

विद्यालय के मान एवं मानदण्ड

1. सभी मौसम में सुरक्षित रहने वाले विद्यालय भवन
2. बालक/बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय
3. शुद्ध एवं साफ पेय जल
4. पुस्तकालय
5. खेल का मैदान
6. मिड–डे–मिल के पर्याप्त रसोई का स्थान
7. विद्यालय के चारो तरफ चारदिवारी।

बच्चे कैसे चिन्तन करते है?

1. चिन्तन एक मानसिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जिसका उद्येश्य समस्या समाधान होता है।

2. चिन्तन मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है।

3. चिन्तन के सूचना प्रकमरण सिद्धान्त में चार चरण आते है।
प्रत्यक्षीकरण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन तथा क्रियान्वयन

4. सृजनात्मक चिन्तन के चार तत्व निम्नलिखित है-
धारा प्रवाह, मौलिकता, लचीलापन, विस्तारण या व्याख्या

सृजनात्मक चिन्तन के चार चरण

ग्राहम वाल्स तथा कॉफ मैन ने सृजनात्मक चिन्तन के चार निम्नलिखित चरण बताये है।

- आयोजन
- उद्‌भवन या सुप्तावस्था
- उद्‌भासन या प्रकाशन
- सत्यापन या मूल्यांकन

चिन्तन की विशेषताएँ

- चिन्तन की शुरूआत समस्या से होती है।
- चिन्तन मनुष्यों मे सार्वभौमिक है।
- चिन्तन में मुद्दा या विचार शामिल होता है।
- चिन्तन में वस्तुएँ और चिन्ह् शामिल होते है।
- चिन्तन तार्किक होता है।
- चिन्तन कल्पना से अलग है।
- चिन्तन लक्ष्योन्मुखी होता है।
- चिन्तन मानसिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है।

चिन्तन के तत्व

- प्रत्यक्षीकरण
- मुद्‌दा या विचार या प्रतिज्ञप्ति
- वस्तु
- चिन्ह्
- भाषा

चिन्तन के प्रकार

1. **अभिसारी चिन्तन** – इसमें व्यक्ति संकुचित या पारम्परिक तरीके से सोचता है।
2. इसे परम्परावादी, रूढ़िवादी, लम्बवत्, एकदिशीय तथा इन द बॉक्स चिन्तन भी कहते है। जैसे- बहुविकल्पिय प्रश्न

अपसारी चिन्तन

- इस प्रकार के चिन्तन में एक बिन्दु से कई बिन्दुओं तक पहुँचते है। इसलिए इसे सृजनात्मक, वैज्ञानिक, पार्श्विक, बहुदिशीय तथा बहुविध हो तथा आऊट ऑफ दि बॉक्स चिन्तन भी कहते है।

जैसे – मुक्त अन्त वाले प्रश्न

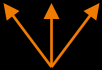

बच्चे कैसे सीखते है?

खेलो द्वारा, अनुबन्धन द्वारा, इन्द्रियों द्वारा, त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सूझ द्वारा प्रभाव द्वारा, प्रोत्साहन द्वारा, निर्माण द्वारा, क्रिया एवं प्रयोग द्वारा, अन्वेषण द्वारा, खोज द्वारा, गतिविधियों द्वारा।

समालोचनात्मक चिन्तन (Critical Thinking)

इस चिन्तन में गुण दोष दोनों पर फोकस किया जाता है। जैसे- मोबाइल से होने वाले लाभ और हानियाँ

प्रतिकात्मक चिन्तन (Symbolic Thinking)

वास्तविक वस्तु न होने पर प्रतिकों के सहारे चिन्तन करना
जैसे- ग्लोब को पृथ्वी मानकर किया गया चिन्तन

विपर्यय चिन्तन (Reversible Thinking)

यह पियाजे द्वारा समर्थित चिन्तन है जिसमें व्यक्ति समस्या के शुरू के अंत तक समाधान पर पहुँचकर वापस शुरूआत में आ सकता है। जैसे – $3 + 2 = 5$ करने के बाद वापस और 2 और 3 तक पहुँचना

मूर्त चिन्तन (Concrete Thinking)

वस्तुओं या घटनाओं के प्रत्यक्ष चिन्तन पर आधारित होता है।
जैसे- सुडोकू पहेली हल करना

अमूर्त चिन्तन (Abstract Thinking)

अमूर्त विचारों पर चिन्तन करना। जैसे – क्या ब्रम्हाण्ड में गुरूत्वाकर्षण का नियम वास्तव में काम करता है।

बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में

पियाजे के अनुसार बच्चा एक वैज्ञानिक है जिसके निम्नलिखित प्रमाण है।

1. सृजनशीलता
2. जिज्ञासा
3. मौलिकता
4. क्रिया एवं प्रयोग
5. खोज की प्रवृत्ति

बच्चा एक समस्या समाधान कर्ता

समस्या की परिभाषा – समस्या किसी कार्य में रूकावट या बाधा को कहते है।

समस्या की विशेषताएँ –

1. समस्या वास्तविका या काल्पनिक दोनों हो सकती है।
2. समस्या समाधान के लिए संकेत या चिन्ह् देना जरूरी है।
3. समस्याएँ कई प्रकार की होती है।

समस्या समाधान की विधियाँ और बच्चा

1. त्रुटि एवं प्रयास विधि
2. सूझ विधि
3. अनसीखी विधि
4. उपलक्ष्य विश्लेषण विधि
5. कलन विधि / एल्गोरिद्म विधि
6. खण्डीकरण विधि (Chunking)
7. पश्चगामी विश्लेषण विधि (Backward Analysis)
8. ह्यूरिस्टिक या अनुमानी विधि

समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि एवं बच्चा

समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में निम्नलिखित चरण आते है–

1. समस्या की पहचान
2. संकल्पना निर्माण
3. आँकड़े इकट्ठा करना
4. संकल्पना का परिक्षण
5. निष्कर्ष

समस्या समाधान में आने वाली बाधायें

1. मानसिक प्रारूपता (Mental Set)
2. कार्यात्मक जड़ता (Functional Fixedness)
3. मोर्चा बंदी (Partianism)
4. आँकड़ों की कमी (Lack of data)
4. अनम्यता (Non Flexbility)

अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक

निजी कारक –

1. पूर्व ज्ञान
2. तत्परता
3. अभ्यास
4. जिज्ञासा
5. रूचि
6. बिमारी
7. चोट
8. दुर्घटना
9. बुद्धि
10. ग्रहण शक्ति
11. थकान
12. मानसिक दशा

बाह्य कारक

1. शिक्षण विधि
2. पाठ्यक्रम का स्वरूप
3. पोषण
4. वातावरण
5. घर का माहौल
6. शिक्षक का स्वभाव
7. कक्षा का वातावरण

अधिगम एवं अभिप्रेरणा

अधिगम के दौरान बालक को अभिप्रेरित करने के तरीके

1. पूर्व ज्ञान से जोड़कर
2. बालक के रूचि को वरीयता देकर
3. तत्परता पहचान कर
4. जिज्ञासा जागृत करके
5. भ्रम दूर करके
6. प्रोत्साहन द्वारा
7. उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाना
8. कक्षा में साकारात्मक वातावरण

संज्ञान और संवेग

संवेग की विशेषताएँ

1. अनिश्चितता
2. परिवर्तनशीलता
3. व्यापकता
4. स्थानान्तरण
5. विवेकशून्यता
6. सुःखद या दुःखद
7. शारीरिक परिवर्तन
8. व्यवाहारात्मक पक्ष
9. मूल प्रवृत्यात्मक

संज्ञान

संज्ञान का अर्थ संवेदना प्रत्यक्षीकरण होता है। इसमें निम्नलिखित क्रियाएँ आती है।

1. सूचना प्राप्त करना
2. अर्थ निकालना
3. विश्लेषण
4. संश्लेषण
5. वर्गीकरण
6. निष्कर्ष
7. अनुप्रयोग

निष्कर्ष

संज्ञान संवेग आपस में जुड़े है और एक-दूसरे को प्रभावित करते है।

अपवाद – सिर्फ राबर्ट जन्जोंक एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संवेग और संज्ञान को अलग-अलग माना है।

संज्ञान का सूचना प्रक्रमण सिद्धान्त

इस सिद्धान्त में चार चरण है–

1. प्रत्यक्षीकरण (Perception)
2. विभेदन (Discrimination)
3. वर्गीकरण (Classification)
4. सामान्यीकरण (Generalisation)

ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष

1956 में ब्लूम द्वारा दिये गये इस पक्ष में निम्नलिखित 6 चरण आते है –

1. ज्ञान
2. बोध
3. अनुप्रयोग
4. विश्लेषण
5. संश्लेषण
6. मूल्यांकन

ज्ञान के प्रकार

1. स्पष्टज्ञान (Explicit Knowledge)
2. निहित ज्ञान (Implicit Knowledge)
3. घोषणात्मक ज्ञान (Declarative Knowledge)
4. प्रक्रियात्मक ज्ञान (Procedural Knowledge)
5. मौन ज्ञान (Tacit Knowledge)
6. पश्चवर्ती ज्ञान (A posteriori Knowledge)
7. प्राथमिक ज्ञान (Priori Knowledge)
8. संज्ञान (Cognition)
9. अधिसंज्ञान (Metacognition)

शिक्षण की विशेषताएँ

1. दो तरफा प्रक्रिया
2. अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया
3. औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया
4. सामाजिक प्रक्रिया
5. लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया
6. बालकेन्द्रित एवं सक्रिया प्रक्रिया
7. निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया
8. परिमार्जन की प्रक्रिया
9. स्थानान्तरण की प्रक्रिया
10. सार्वभौमिक प्रक्रिया
11. द्विमुखी एवं त्रिमुखी प्रक्रिया

21 अचूक ट्रिक्स

1. बालकेन्द्रित शिक्षा
2. समावेशी शिक्षा
3. प्रगतिशील शिक्षा
4. त्रुटि एवं प्रयास
5. निदान एवं उपचार
6. वंशानुक्रम एवं वातावरण
7. वैयक्तिक विभिन्नता
8. संज्ञान और संवेग
9. अभिसारी और अपसारी चिन्तन
10. विकास के 14 सिद्धान्त
11. अधिगम के लिए आकलन
12. अधिगम का आकलन
13. अधिगम के रूप में आकलन
14. आन्तरिक प्रेरणा
15. पूर्व ज्ञान
16. गतिविधि आधारित अधिगम
17. लिंग पूर्वाग्रह
18. चिन्तन
19. विद्यालय आधारित आकलन
20. निर्माण एवं सृजनशीलता

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

- ❖ यह दिव्यांगों पर बनाया गया सबसे नवीन अधिनियम है जो 1995 वाले अधिनियम को निरस्त करता है।
- ❖ इसमें कुल 17 अध्याय तथा 1 अनुसूची है।
- ❖ इसी अधिनियम में सबसे पहली बार दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया।
- ❖ इसमें दिव्यांगता को 1995 वाले अधिनियम के सात प्रकारों से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया है।

- 1995 वाले अधिनियम में दिव्यांगों को 3 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया गया था। जिसे बढ़कार 4 प्रतिशत कर दिया गया है।
- इस अधिनियम के आ जाने से RTE – 2009 में दिव्यांग छात्र की उम्र बढ़कार 6 से 14 वर्ष हटाकर 6 से 18 वर्ष कर दी गई है।
- अधिनियम के अध्याय 3 में दिव्यांगों की शिक्षा तथा 4 में रोजगार का वर्णन है।
- उच्च शिक्षा में दिव्यांगों का आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

❖इसमें दिव्यांगता के 21 प्रकार माने गये है। जो निम्नलिखित है –

- अस्थिबाधित दिव्यांगता
- प्रमस्तिष्क घात (Cerebral palsy)
- स्वलीनता (Autism)
- कुष्ठ रोग मुक्त
- बौनापन
- मांस पेशीय दुर्विकास
- तेजाब हमला पीड़ित
- दृष्टिहीनता
- अल्पदृष्टि
- पार्किसन्स बिमारी
- श्रवण दोष

- मानसिक मन्दता
- बौद्विक दिव्यांगता
- विकृत कोशिका बिमारी
- हिमोफीलिया
- थैलेसीमिया
- मानसिक रोगी
- भाषा या मूख दिव्यांगता
- बहु दिव्यांगता
- बहु – स्केलेरोसिक
- विशेष अधिगम अक्षमता

अध्याय – 3

- बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के समान खेल और आमोद-प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना।
- भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच बनाना।
- व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त वास सुविधा प्रदान करना।
- ऐसे वातावरण में, जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के संगत शैक्षणिक और समाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते है, व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यकता सहायता प्रदान करना।

- प्रत्येक दिव्यांग छात्र के सम्बन्ध में शिक्षा के प्राप्ति स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी, प्रगति को मानीटर करना।
- दिव्यांग बालकों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों के परिसर के लिए भी परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- यह सुनिश्चिम करना कि ऐसे व्यक्ति को, जो अंधा या बधिर या दोनों है, संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना।
- बालकों में विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं का शीघ्रतम पता लगाना और उन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक औन अन्य उपाय करना।

- **सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय – समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा 16 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, अर्थात्:-**

- (1) दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को अभिनिश्चित करने और उसपरिमाण के संबंध में जहां तक उन्हें वह पूरा कर लिया गया है, स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर पांच वर्ष में सर्वेक्षण करना:परन्तु पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा;
- (2) पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना;
- (3) शिक्षकों को, जिसके अंतर्गत दिव्यांग अध्यापक भी हैं जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित हैं और ऐसे शिक्षकों को भी, जो बौद्धिक रूप में दिव्यांग बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित और नियोजित करना;

- (4) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सम्मिलित शिक्षा में सहायता करने के लिए वृत्तिकों और कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षित करना;
- (5) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं की सहायता के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना;
- (6) वाक्शक्ति, संप्रेषणा या भाषा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी की स्वयं की वाक्शक्ति के उपयोग की अनुपूर्ति के लिए संप्रेषण, ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों सहित समुचित संवर्धी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना;
- (7) संदर्भित दिव्यांग छात्रों को अठारह वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां नि: शुल्क उपलब्ध कराना;
- (8) संदर्भित दिव्यांग छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना;

- (9) दिव्यांग छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त उपांतरण करना जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या लेखक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट;
- (10) विद्या में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और
- (11) कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हों।

प्रौढ शिक्षा - समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी को संवर्धित, संरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए और अन्य व्यक्तियों के समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे।

अध्याय – 4

कौशल विकास और नियोजन

व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन –

(1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनकेव्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीमों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित उपबंध होंगे

(i) सभी मुख्य धारा के औपचारिक और गैर-औपचारिक वृत्तिक और कौशल प्रशिक्षण स्कीम और कार्यक्रमों मेंदिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना,

(ii) यह सुनिश्चित करना कि किसी दिव्यांगजन को विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त हैं..

(iii) ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो विकासात्मक, बौद्धिक, बहुविध दिव्यांगता स्वपरायणता वाले हैं, अनन्यकौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, जिनका प्रभावी संयोजन बाजार के साथ हो:

(iv) रियायती दर पर ऋण, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उधार भी है.

(v) दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन और

(vi) कौशल प्रशिक्षण और स्वनियोजन में की गई प्रगति पर असंकलित डाटा बनाए रखना जिसके अंतर्गतदिव्यांगजन भी हैं।

नियोजन में विभेद न करना–

(1) कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन केविरुद्ध विभेद नहीं करेगा:परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसेनिबंधनों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) प्रत्येक स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण उपलब्ध कराएगा।

(3) केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इंकार नहीं किया जाएगा।

(4) कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, उसे अभिमुक्तया उसके रैंक में कमी नहीं करेगा।परंतु यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करताहै तो उसे समान वेतमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जाएगा:परतु वह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा।

(5) समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बना सकेगी।

समान अवसर नीति –

(1) प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावितसमान अवसर नीति से संबंधित उपायों को ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए अधिसूचित करेगा ।

(2) प्रत्येक स्थापन, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा ।

अभिलेखों का रखा जाना –

(1) प्रत्येक स्थापन, इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में उपलब्ध कराए गए नियोजन,सुविधाओं के मामलों के संबंध में दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा और अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जोकेन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए रखेगा।

(2) प्रत्येक रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अभिलेख, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत किए जाएं सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।